प्रकरण संख्या–10 / 17 तारीख रजु–03.07.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, नादौती, जिला करौली, राज. – प्रार्थी

बनाम

श्री लल्लूराम, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत, तालचिड़ा, तहसील नादौती जिला करौली – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड किये गये 1.99.500 क्विं. चीनी को राजसात् करने बाबत्।

निर्णय

दिनांक–01.10.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक नादौती ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले के भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जांच दल द्वारा श्री लल्लूराम मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तालचिड़ा तहसील नादौती की दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक जांच की गई जिसमें निम्न आपत्तियां पाई गई–डीलर द्वारा वक्त जांच मूल प्राधिकार पत्र, स्टॉक रजिस्टर, ब्लू प्रिण्ट, मासिक रिर्टन की प्रति, ईसूची एवं यूनिट रजिस्टर को वक्त जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। वितरण का सत्यापन ग्राम सभा द्वारा नहीं कराया जा रहा है। दुकान पर पीडीएस ऑर्डर 2001 के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना। दुकान पर पोस मशीन में पूरा स्टॉक नहीं चढ़ाना। स्टॉक रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराना। अंकेक्षण अवधि में डीलर लल्लूराम मीना को 43.50 क्विं. चीनी आपूरित की गई थी तथा डीलर द्वारा 42.99.500 क्विं. चीनी पोस से वितरण के बाद 50 किलो 500 ग्राम चीनी शेष होनी चाहिये थी जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान 2.50 क्विं. चीनी पाई गई थी। इस प्रकार दुकान पर 1.99.500 क्विं. चीनी अधिक पाई गई। जांच दल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिये गये निर्देशों एवं श्रीमान् जिला रसद अधिकारी महोदय के आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार श्री लल्लूराम से कई बार चीनी जब्ती हेतु सम्पर्क किया गया परंतु डीलर द्वारा जब्ती में सहयोग नहीं करने के कारण उक्त जब्ती की कार्यवाही दिनांक 28.06.2017 में की गई जिसमें श्री लल्लूराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तालचिड़ा से जांच दल की जांच दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 में स्टॉक में अधिक बताई गई। 1.99.500 क्विं. चीनी के परिपेक्ष्य में डीलर द्वारा प्रार्थी को 1.99.500 क्विं. चीनी उपलब्ध कराई गई जिसको जब्त कर नजदीकी ग्राम पंचायत दलपुरा के उचित मूल्य दुकानदार श्री दानसिंह मीना को सुपुर्द किया गया एवं खुर्द बुर्द नहीं करने व सही हालत में रखने हेतु पाबंद किया गया। इस प्रकार जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 से 14.05.2017 तक श्री लल्लूराम उचित मूल्य

जिला कलक्टर करौली

दुकानदार ग्राम पंचायत तालचिड़ा तहसील नादौती की जांच की गई। डीलर द्वारा उक्त अनियमिततायें कारित कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के खण्ड 3 तथा इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों 2,5,6,8,10,11, 17सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है एवं पीडीएस ऑर्डर 2015, एनएफएसए 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त दुकानदार का कृत्य 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अंत में जब्तशुदा 1.99.500 क्विं. चीनी को राजसात् किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी को उपस्थित होने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी बावजूद सूचना अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया और न ही अप्रार्थी द्वारा कोई जबाव इस न्यायालय में पेश किया गया।

बहस प्रवर्तन निरीक्षक सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक का कथन है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले के भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जांच दल द्वारा श्री लल्लूराम मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तालचिड़ा तहसील नादौती की दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक जांच की गई। दौराने जांच डीलर द्वारा वक्त जांच मूल प्राधिकार पत्र, स्टॉक रजिस्टर, ब्लू प्रिण्ट, मासिक रिर्टन की प्रति, ईसूची एवं यूनिट रजिस्टर को वक्त जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। वितरण का सत्यापन ग्राम सभा द्वारा नहीं कराया जाना, दुकान पर पीडीएस ऑर्डर 2001 के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना, दुकान पर पोस मशीन में पूरा स्टॉक नहीं चढ़ाना, स्टॉक रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराना आदि अनियमिततायें पाई गईं। अंकेक्षण अवधि में डीलर लल्लूराम मीना को 43.50 क्विं. चीनी आंपूरित की गई थी तथा डीलर द्वारा 42.99.500 क्विं. चीनी पोस से वितरण के बाद 50 किलो 500 ग्राम चीनी शेष होनी चाहिये थी जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान 2.50 क्विं. चीनी पाई गई थी। इस प्रकार दुकान पर 1 क्विं. 99 किलो 500 ग्राम चीनी अधिक पाई गई। जांच दल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिये गये निर्देशों एवं श्रीमान् जिला रसद अधिकारी महोदय के आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार श्री लल्लूराम से कई बार चीनी जब्ती हेतु सम्पर्क किया गया परंतु डीलर द्वारा जब्ती में सहयोग नहीं करने के कारण उक्त जब्ती की कार्यवाही दिनांक 28.06.2017 में की गई जिसमें श्री लल्लूराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तालचिड़ा से जांच दल की जांच दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 में स्टॉक में अधिक बताई गई। 1 क्विं. 99 किलो 500 ग्राम चीनी के परिपेक्ष्य में डीलर द्वारा प्रार्थी को 1 क्विं. 99 किलो 500 ग्राम उपलब्ध कराई गई जिसको जब्त कर नजदीकी ग्राम पंचायत दलपुरा के उचित मूल्य दुकानदार श्री दानसिंह मीना को सुपुर्द किया गया एवं खुर्द बुर्द नहीं करने व सही हालत में रखने हेतु पाबंद किया गया। डीलर द्वारा उक्त अनियमिततायें कारित कर राजस्थान

जिला कलक्टर
करौली

खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के खण्ड 3 तथा इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों 2,5,6,8,10,11,17सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है एवं पीडीएस ऑर्डर 2015, एनएफएसए 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त दुकानदार का कृत्य 3 / 7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अंत में जब्तशुदा 1 क्विं. 99 किलो 500 ग्राम चीनी को राजसात् किये जाने का कथन किया गया है।

प्रवर्तन निरीक्षक की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य शपथपत्रों का विवेचन किया गया जिसमें डीलर को आपूरित चीनी में से वितरण उपरांत शेष 50 किलो 500 ग्राम चीनी से 1 क्विं. 99 किलो 500 ग्राम चीनी अधिक पाई गई। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया और ना ही अपना जवाब इस न्यायालय में पेश किया। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधिक पाई गई 1 क्विं. 99 किलो 500 ग्राम चीनी को राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 1 क्विं. 99 किलो 500 ग्राम चीनी को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तशुदा 1 क्विं. 99 किलो 500 ग्राम चीनी को बाजार दर से विक्रय कर विक्रय से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली